भारत की जैव विविधता संरक्षण जैव विविधता अधिनियम

बालकृष्ण पिसुपति

राष्टीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवरसिटी ऑथोरिटी, चेन्नई

परिचय

जैव विविधता का अर्थ है इस पृथ्वी पर रहने वाले उन सारे जीवों की विविधता, जो भूमि पर, समुद्र में, नदी, तालाब, झीलों आदि में या जटिल पर्यावरण में रहते हैं। जैव विविधता एक प्रजाति के बीच या प्रजातियों एवं पारिस्थितिक तंत्र के बीच हो सकती है। आनुवंशिक संसाधन, जीवधारी या उनके भाग, जन समुदाय अथवा पारिस्थितिक तंत्र का कोई भी जैविक अवयव जो कि वास्तविक या संभावित रूप से मानवता के लिए उपयोगी हो, जैव संसाधन की श्रेणी में आता है।

भारत विश्व के विशाल जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है, जैव विविधता की दृष्टि से संसार के 34 चुनिन्दा स्थलों में से 4 भारत में हैं। भारत में विश्व के भूभाग का केवल 2.4 प्रतिशत हिस्सा है। परन्तु विश्व में कुल दर्ज प्रजातियों में से 7.8 प्रतिशत भारत में पाई जाती है। यह जैव विविधता आर्थिक, पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और भावी पीढियों के लिए बहुमूल्य है। दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय और परिचमी घाट जो कि अपने वनों के कारण जल का मुख्य स्रोत हैं। भारत की पारिस्थितिकी प्रणाली को जीवन देती हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लाखों करोडों लोगों के भरण पोषण करने के साथ साथ गैर लकडी के सालाना 20 करोड डॉलर मूल्य के वन उत्पाद उपलब्ध कराती है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में कई प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं जैसे पर्वत, वन, रेगिस्तान, नदियां व झीलें, समुद्र, दवीप, नम भूमि और दलदली भूमि, पारिस्थितिकी की विविधता के अलावा प्रजातियों की विविधता भारत को विश्व के विशाल जैव विविधताओं वाले देशों में शामिल कर देती है। वनस्पति विविधता में भारत का विश्व में दसवां एवं एशिया में चौथा स्थान है। इसके अतिरिक्त, भारत के जैव संसाधनों की आनुवंशिक विविधता को देखते हुए वनस्पति, पशु, मछलियों, कीट पतंगों और सूक्ष्म कीटाणुओं के अनुवांशिक स्रोतों पर अध्ययन करने के लिए विभागों की स्थापना की गई है। भारत में कई अग्रणी सर्वे संगठन प्रजातियों के सर्वे, एकत्रीकरण और वर्गीकरण के लिए समर्पित हैं, जैसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, केंद्रीय समुद्री मात्सियकी अनुसन्धान संस्थान और राष्टीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो।

द इकोनोमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एवं बायोडाइवर्सिटी के 2010 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जैव विविधता के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप बहुत लाभकारी हैं। प्रत्यक्ष रूप में जैव विविधता से प्राप्त उत्पादों में विभिन्न कृषि उत्पाद, औषधीय वनस्पति, सूक्ष्म जीव आदि शामिल हैं जबकि अप्रत्यक्ष इस्तेमाल में सांस्कृतिक व कलात्मक आदान प्रदान शामिल हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद के पैमाने पर इस जैव विविधता की अनदेखी करने पर चुकाई जाने वाली कीमत इसे संजोये रखने की कीमत से बहुत कम होगी। छोटे स्तर के निवेश करके इस जैव विविधता को संरक्षित करते हुए इसका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। जलवायु के बदलाव को तो कालांतर में उपयुक्त हस्तक्षेप कर उल्टा जा सकता है, किन्तु जैव विविधता एक बार खोने पर मदा के लिए खो जाती है।

द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जैव विविधता से संबंधित मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं। हालांकि गौर से देखने पर और वैश्विक स्तर पर हो रहे आकलनों पर ध्यान देने पर यह पाया जाएगा कि ये मुद्दे भारत के सन्दर्भ में भी प्रासंगिक हैं।

- जैव विविधता का योगदान केवल भौतिक कल्याण और जीविकोपार्जन के रूप मे नहीं है। जैव विविधता सुरक्षा एवं सम्बलन की भावना का संचार भी करती है। इसके अतिरिक्त यह सामजिक सम्बन्ध, स्वास्थ्य और चयन व क्रिया की स्वतंत्रता को भी बढावा देती है।

- मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव विविधता में पिछले 50 सालों में जिस तेजी के साथ परिवर्तन हुए हैं, उतने मानवता के इतिहास में कभी नहीं हुए। इन बदलावों के कारक, जिन्होंने कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव कर दिया, अभी भी बरकरार हैं, कालांतर में उनके कम होने की संभावना भी नजर नहीं आती और कुछ मामलों में तो इनकी तीव्रता बढती जा रही है। एम.ए. द्वारा विकसित भविष्य की चार संभावित तस्वीरों के अनुसार जैव विविधता में बदलाव की दर या तो यही बनी रहेगी या और बढ जायेगी।
- प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को मानव के नियंत्रण में ले कर जैव विविधता का दोहन कर पिछली शताब्दी में बहुत लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन इस लाभ की काफी कीमत भी चुकानी पडी है जो जैव विविधता के नुकसान, पारिस्थतिकी तंत्र के पतन, और अन्य जन समूहों में बढी गरीबी के रूप में सामने आई।
- जैव विविधता के क्षरण और पारिस्थितिकी तंत्र में आये बदलाव के सबसे प्रमुख व प्रत्यक्ष कारक निवास स्थान में बदलाव जिसका कारण भूमि उपयोग में बदलाव, नदियों के स्वरूप में बदलाव या नदियों से जल की निकासी, प्रवाल भित्तियों की समाप्ति और खोजबीन के फलस्वरूप समुद्र तल को हुई क्षति है, जलवायु परिवर्तन, आक्रमणकारी बाहरी प्रजातियां, अत्यधिक दोहन और प्रदूषण हैं।
- उन्नत मूल्यांकन तकनीक और पारिस्थितिकी तंत्र में आये बदलाव यह दर्शाते हैं कि यधपि जैव विविधता के नुकसान के फलस्वरूप बहुत से व्यक्ति लाभान्वित होते हैं, परन्तु इस बदलाव के कारण जो कीमत समाज को चुकानी पडती है वो अक्सर काफी अधिक होती है।
- जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में और प्रगति द्वारा मनुष्यों के जीवन स्तर में सुधार लाने और गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक है कि उन प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों को मजबूर बनाया जाना आवश्यक है जिन्हें जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाओं के संरक्षण तथा निरंतर उपयोग के प्रमुख ध्येय को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये प्रतिक्रियाएं, तथापि, तब तक पर्याप्त नहीं होंगी जबतक परिवर्तन के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारकों पर ध्यान न दिया जाए तथा प्रतिक्रियाओं को सामग्र रूप में कार्यान्वित करने में सहायक परिस्थितियों को स्थापित न किया जाए।
- स्भी स्तरों पर जैव विविधता के क्षरण की दर पर काबू पाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास की आवश्यकता है।
- अल्पकालिक लक्ष्य जैव विविधता के संरक्षण तथा इसके समुचित दोहन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थतिकी तंत्रों के प्रतिक्रिया काल को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण व कार्यवाही के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे कि सन् 2050 के लिए की आवश्यकता है।
- जैव विविधता व पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की उन्नत क्षमता हर स्तर पर निर्णय लेने में सहायक सिध होगी।
- विज्ञान यह सुनिश्चित कर सकता है कि निर्णयों का आधार स्टीक जानकारी हो परन्तु अंतत जैव विविधता का भविष्य समाज ही तय करेगा।

ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक का तीसरा संस्करण यह संकेत देता है कि भारत और उनके पडोस के क्षेत्र में समुद्री सम्पदा के दोहन से वैश्विक तटवर्ती पर्यावरण का अस्तित्व खतरनाक मोड पर पहुंच गया है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत देश में वैश्विक जैव विविधता को जन कल्याण के लिए संरक्षित करने और इसका लाभ देशवासियों तक पहुंचाने के लिए राष्टीय नीति व नियामक रूपरेखा बनायी गयी जो जैव विविधता के संरक्षण के साथ उसके दीर्घकालिक लाभ जनज न तक पहुंचाने के लिए भी समर्पित है। यह वाकई प्रशंसनीय कदम है और भारत की दूरदर्शिता का परिचायक है। ऐसे समय में जब कि अन्य देश इस बात पर विचार ही कर रहे थे कि उपरोक्त तीन सिदांतों को किस तरह समाहित किया जाए, भारत ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 बना कर 2004 में इसके नियमों की अधिसूचना जारी कर दी थी।

भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 2012, राष्टीय पर्यावरण नीति 2006 और राष्टीय जैव विविधता कार्य योजना 2007 में जैव विविधता अधिनियम को मजबूती से लागू करने को राष्टीय प्राथमिकता माना गया। राष्टीय पर्यावरण नीति संरक्षण और विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रायासरत है। इसका प्रमुख ध्येय यह है कि यद्यपि पर्यावरण और

जैव संसाधनों का संरक्षण सबके कल्याण के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जिन संसाधनों पर निर्भर हैं उन्हें इन संसाधनों के विनाश की अपेक्षा इनके संरक्षण से बेहतर लाभ मिले।

राष्टीय जैव विविधता कार्य योजना का आधार मौजूदा विधेयक, नियामक व्यवस्थाएं, कार्यान्वयन व्यवस्थाएं, मौजूदा कार्यनीतियां, योजनायें व कार्यक्रम हैं। इसे तैयार करने में पर्यावरण व वन मंत्रालय ने एन.बी.एस.ए.पी. की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट का भी सहयोग लिया। मंत्रालय ने देश भर से विभिन्न सांझेदारों से विस्तृत विचार विमर्श किया। NBAP देश के पारिस्थितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने के अनुरूप है और इसे CBD के अनुच्छेद 6 (a) और BADA, 2002 की धारा 36 1 और 3 के अनुसरण में तैयार किया गया है।

NBAP ने निम्न प्रावधानों अधिनियमों आदि की सीमाओं को चिन्हित किया है जैव विविधता सूचना आधार, जैव विविधता अधिनियम, नयी व उभरती जैव प्रौद्योगिकी, आर्थिक मूल्यांकन, प्राकृतिक संसाधनों को लेखा जोखा, नीतिगत, कानूनी और प्रशासनिक उपाय तथा संस्थानिक सहयोग। अत विभिन्न स्तरों पर क्षमताओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

भारत का जैव विविधता अधिनियम जैव विविधता से जुडे मुद्दों को हल करने के लिये भविष्यवादी विचारधारा स्थापित करता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- एक स्वायत्त वैधानिक प्राधिकरण की स्थापना जिसके पास जैव विविधता, पारिस्थितिकी, प्रजातियों आदि सम्बन्धी राष्टीय नीतियों के कार्यान्वयन के निरीक्षण का अधिकार हो।
- राष्टीय जैव प्राधिकरण के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक विकेन्द्रित ढांचे की स्थापना जो कि जैव विविधता से जुडे राष्टीय व अंतरराष्टीय मुद्दों को हल करेगा, राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जो कि राज्य स्तर पर अधिनियम का कार्यान्यवन देखेगा और पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन कमेटी का गठन।
- इस अधिनियम में एक जैव विविधता कोष की स्थापना का भी प्रावधान है जो कि संरक्षण और उचित उपयोग से होने वाले फायदे को बांटने में सहयोग करेगा। इस कोष की कार्य प्रणाली की केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निगरानी की जायेगी। पर्यावरण के दोहन की अनुमति देने के बदले में प्राप्त राशि और संबंधित लाभ राशि भी इसी कोष में जमा की जायेगी। केंद्र सरकार से प्राप्त राशि, लाइसेंस शुल्क, रोयल्टी आदि भी इसी कोष में जमा की जायेगी।
- उपरी तीन स्तरीय ढांचे और सरकार के योगदान एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने एवं जैव विविधता की समस्याओं को सुलझाने हेतु, आपसी सहयोग की शर्तों एवं नियमों को स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया है।
- जैव विविधता की समस्याओं से निपटने के लिए, उस को एक उपयोग की वस्तु न मान कर भविष्य में उपयोग के लिए एक स्रोत मानते हुए, विकल्पों का प्रावधान करना, हेरिटेज साइट्स बनाना और विशेष बिंदुओं, जैसे कृषि सम्बन्धी जैव विविधताओं पर ध्यान केंद्रीत करने के लिए विशेष क्षेत्र बनाना।
- जैविक स्रोतों के उपयोग को इस प्रकार नियंत्रित करना जिस से उन का उपभोग, अनुसंधान एवं विकास बाधित न हो, अपितु उस के उपयोग को इस प्रकार सुनिश्चि करना जो कि संरक्षण की रूपरेखा के अंतर्गत आता हो, जिस में स्तोत्र के उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता के बीच लाभ का उचित एवं न्यायसंगत बंटवारे के सिद्धांत का पालन होता हो। जिस में निर्णय लेने का केन्द्र एक न हो कर इस का विकेन्द्रीकरण हो तथा इस के साथ ही एक्ट का कार्यान्वयन NBA, SBB and BMC स्तर पर अनुपालन के तरीकों एवं निषेधों को स्पष्ट प्रावधान के साथ हो।

उपरोक्त अनुसार, यह एक्ट एक बहुत ही विस्तृत विधेयक का अंग है जिसे भारत सरकार ने हाल के वर्षों में लागू किया है। यह एक्ट जैव विविधता के उपयोग को सुनिश्चित नियम एवं शर्तों के साथ, सुगम बनाता है तथा बढावा भी देता है, इस के अतिरिक्त जैव विविधता विधेयक राष्टीय नीति निर्धारण में सलाह भी देता है।

अब तक की प्रगति

NBA भारत सरकार का एक सक्षम प्राधिकरण है जो संरक्षण एवं जैविक स्रोतों के दीर्घकालीन उपभोग से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय ले सकता है। इन में जैविक स्रोतों के दोहन एवं उन पर वैज्ञानिक खोज के परिणाम को विदेशी नागरिकों को, कंपनियों को या अनिवासी भारतीयों को हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करना। भारत से प्राप्त पारंपरिक जानकारी या बौद्धिक सम्पदा अधिकार को स्वीकृति प्रदान करना, भारत के जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ की भागेदारी की व्यवस्था करना, जैव संसाधनों के दोहन और पारंपरिक जानकारी को तीसरे पक्ष को हस्तांतरिक करने की स्वीकृति प्रदान करना, भारत की जैव विविधता के संरक्षण एवं उस के दीर्घकालिक उपयोग के मामलों पर निर्णय लेना। इस के अतिरिक्त जैव विविधता एक्ट 2002 की धारा 27, 32 और 42 में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर जैव विविधता कोष स्थापित करने का प्रावधान है, NBA द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के एवज में प्राप्त शुल्क एवं रायल्टी को राष्टीय जैव विविधता कोष में जमा कराया जाता है इस का उपयोग उन क्षेत्रों के संरक्षण एवं विकास में किया जाता है जहां के संसाधनों का दोहन किया गया हो।

इस लेख के प्रेस में जाने के समय तक NBA ने 25 राज्य जैव विविधता बोर्ड और लगभग 32000 जैव विविधता प्रबंधन कमेटियों की स्थापना में सहायता की है, यद्यपि राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन कमेटियों की कार्य प्रणाली में सुधार की काफी गुंजाइश है। अब तक 14 राज्यों ने कार्यान्वयन सम्बन्धी, राज्य स्तरीय नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है।

जैव संसाधनों के दोहन और लाभ के बंटवारे (ABS) का मुद्दा सभी के लिए अतिरिक्त ध्यानाकर्षण का केंद्र बन गया है क्योंकि इस बात पर सब की रूचि है कि इस एक्ट के अंतर्गत ABS के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन से न केवल जैव संसाधनों के संरक्षण और दीर्घकालिक उपयोग को बढावा मिलेगा अपितु स्थानीय विकास भी होगा। उदाहरण के लिए अगर लोग जैव संसाधनों के सम्भावित फायदे और उन के महत्व को समझ लेते हैं, तो स्थानीय स्तर पर संरक्षण और संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

कार्यान्वयन का एक उदाहरण NBA द्वारा दोहन के आवेदन की स्वीकृति

जैव विविधता एक्ट और नियमों की विभिन्न धाराओं के अनुरूप NBA के जैविक संसाधनों के दोहन के लिए अब तक 652 आवेदन पत्र प्राप्त किये है जिन में से 92 को स्वीकृति दे दी गई है और इस से संबंधित इकरारनामे पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इस के अतिरिक्त 357 आवेदनों को और स्वीकृति दी जा चुकी है। 238 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही चल रही है जब की 57 आवेदन वापिस लिए जा चुके हैं।

स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के महत्व को पहचानते हुए यह अधिनियम जन जैव विविधता रजिस्टर (PBR) बनाने पर भी बल देता है। विभिन्न राज्यों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन कमेटियों (BMCs) के सहयोग से अब तक 1121 PBRs बनाए जा चुके हैं। क्षेत्र विशेष की जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए, यह अधिनियम जैव विविधता हेरिटेज साइट्स (BHC) को चिन्हित करने की आवश्यकता पर बल देता है जो कि विशिष्ठ जैव विविधता के संरक्षण व उपयोग के उद्देश्य के लिए चिन्हित की गयी हो भारत में अब तक तीन BHC चिन्हित कर ली गयी हैं।

इसके अतिरिक्त, जैविक संसाधनों पर अनुसंधान और विकास के लिए पर्यावरण व वन मंत्रालय ने एक बडे कार्यक्रम की शुरूआत की है जो कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों व जैव विविधता की अपार सम्पदा का मूल्यांकन करेगा। 'द इकोनोमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी (TEEB) के अध्ययन के साथ सहयोग करके मंत्रालय ने प्राकृतिक पूंजी व पारिस्थितिकी सेवाओं का मूल्यांकन, आर्थिक रूप में करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है।

यह अध्ययन निम्न बिंदुओं पर गौर करेगा :

- राज्य की विशिष्ठ पारिस्थितिकी और आर्थिक समस्याओं का पता लगाना।
- उन पारिस्थितिकी सेवाओं व प्राकृतिक पूंजी का पता लगाना जो कि राज्य नीति के लिए महत्वपूर्ण है।
- सुचना के प्रसारण के लिए उपयुक्त माध्यम का चयन करना।
- नीतिगत विकल्पों का पता लगाना व उनका मूल्यांकन।
- नीतिगत विकल्पों के वितरण के प्रभाव का मूल्यांकन।
- सांझेदारों की अर्थव्यवस्था और जैव विविधता को बढाना।

भारत की चौथी राष्टीय रिपोर्ट, जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलोजिकल डाइवर्सिटी 2010 के लिए तैयार की गयी थी, से ज्ञात होता है कि भारत ने कार्यान्वयन प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बना लिया है, साथ ही साथ जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वैधानिक व स्थानिक उपायों को भी सुदृढ कर लिया है। इस सन्दर्भ में निम्न मुख्य पहल की गयी : (i) एनटीटीज ऑफ एन्कम्पेयरेवल वेल्यू (EVIs) जैसा कि NEP में वर्णित है ; (ii) अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासी वन अधिकारों की पहचान अधिनियम 2006 ;(iii) वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ;(iv) एनवाईरनमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 और कोस्टल मैनेजमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली विकास परियोजनाओं के पर्यावरण पर प्रभाव के अनुमान के साथ जैव विविधता सम्बन्धी चिंतन को भी समाहित करना ; उत्तम कार्य प्रणालियों को बढावा देने के लिए किसान समूहों को 'प्लांट जिनोम सेविअर कम्यूनिटी रिकग्रिशन' अवार्ड दिया जाना ; राष्टीय सिंह संरक्षण प्राधिकरण 2006 की उत्पत्ति ; और राष्टीय मत्स्य विकास बोर्ड 2006 का गठन।

जैव संरक्षण के लिए राष्टीय क्षमताओं को विकसित करने एवं नयी तकनीकों के उपयुक्त प्रयोग के लिए, सांझेदारी को सम्मिलित करते हुए अनेक कदम उठाये गए हैं। 'आल इंडिया कोओरडीनेटेड प्रोजेक्ट ऑन केपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सोनोमी' (AICOPTAX) ने ऐसे पौधों, जनतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं का वर्गीकरण आसान कर दिया जिनके विषय में पहले अधिक जानकारी नहीं थी। भारत में पकडे हुए जंतुओं की जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग पर अनुसंधान को और अधिक तीव्र कर दिया। क्षमता विकास के मामले में, भारत ने अग्रलिखित क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की हैः वन आधारित छोटे उद्यम ; संयुक्त वन प्रबंधन के लिए स्व सहायता समूहों का विकास जो कि सरकार की अन्य योजनाओं के साथ सहयोग कर के काम करें ; जैव सुरक्षा पर्यावरण शिक्षा एवं जागृति अभियान जिस में 10000 संगठन, 84000 ईको क्लब और 40000 स्कूल शामिल हों, मुर्गीपालन, मधु मक्खी पालन, मत्स्य एवं संबंधित अन्य क्षेत्र 500000 युवाओं की भागीदारी, विस्तार की गतिविधियां 1200000 किसानों के लिए और वन प्रबंधन, नीति एवं कानूनी मुद्दे, अंतर्राष्टीय सम्मेलन और वन्य जीवन प्रबंधन।

अगस्त 2011 के दौरान NBA तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मिल कर जैव विविधता तकनीक पर आगे काम करने के लिए, पांच राज्यों में, ABS पर एक कार्यक्रम शुरू किया। इसके अतिरिक्त 'जैव विविधता कानून एवं नीति पर उत्तम जैविक विविधता संगठन' Centre for Excellence on Biodiversity Law and Policy (CEBPOL) की स्थापना भी NBA के अंतर्गत की जा रही है, जिस में स्वदेश एवं विश्व की जैव विविधता के मुद्दों पर नीति निर्धारण एवं कानूनी अनुसंधान को हाथ में लेने का प्रावधान भी होगा।

भविष्य

जैव विविधता कानून के लागू होने और संबंधित नियमों की अधिसूचना के जारी हो जाने के बाद भारत, देश में, क्षेत्र में एवं विश्व में, जैव विविधता संरक्षण कार्यान्वयन में अग्रणी हो गया है। NBA जैव विविधता संरक्षण एवं इसके दीर्घकालीन उपभोग के महत्व को स्वीकारते हुए SBBs और BMCs को और शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयासरत है, जिस से जैव सम्पदा संरक्षण के साथ साथ जीविका उपार्जन की संभावनाओं और दीर्घकालीन आर्थिक सम्पन्नता की दिशा में प्रगति को भी बढावा मिले।

जब की अक्टूबर 2012 में भारत 'कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीस टू द कन्वेंशन ऑन बयोलोजिकल डायवर्सिटी' (Conference of the Parties to the Convention on Biological (CBD COP11) का आयोजन कर रहा है, ये समय है कि वो सारे हिस्सेदार जो जैविक विविधता पर कार्य कर रहे हैं, अपने प्रयासों को संयुक्त करें, जिस से जैव विविधता एवं विकास पर एक नयी राष्टीय भागेदारी उभर पर सामने आये, जिसे हम विश्व के सामने प्रदर्शित कर सकें और जिस से भारत की दीर्घकालीन विकास पर चलने की इच्छा का पता चले।

सूचना प्रबंधन एवं सहभागिता, सूचना का आदान प्रदान, उत्तम कार्य कुशलता का मार्गदर्शन, कार्य करने वालों से सीखना, उत्साहपूर्ण नीति निर्धारण और कार्यान्वयन, उस छह सूत्री मंत्र का निर्माण करेंगे जिस से भारत में जैव विविधता संरक्षण एवं विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।